Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में डाक विभाग का डाक अधिदर्शक (मेल अवर सियर–द्वितीय) 6 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *02 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की अलवर–प्रथम इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये मनोज कुमार सैनी डाक अधिदर्शक (मेल अवर सियर–द्वितीय) अलवर–उत्तर, कार्यालय सहायक अधीक्षक, भारतीय डाक विभाग, अलवर–उत्तर को परिवादी से 6 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर–प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी करवाकर कार्यमुक्त करने की एवज में मनोज कुमार सैनी डाक अधिदर्शक (मेल अवर सियर–द्वितीय) अलवर–उत्तर, कार्यालय सहायक अधीक्षक, भारतीय डाक विभाग, अलवर–उत्तर द्वारा 12 हजार रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की अलवर–प्रथम इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री महेन्द्र कुमार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मनोज कुमार सैनी पुत्र श्री अशोक कुमार सैनी निवासी वार्ड नं0 1, सैनी मौहल्ला तिजारा, अलवर हाल डाक अधिदर्शक (मेल अवर सियर–द्वितीय) अलवर–उत्तर, कार्यालय सहायक अधीक्षक, भारतीय डाक विभाग, अलवर–उत्तर को परिवादी से 6 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।